रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238948
CG-DL-E-21092022-238948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
No. 461] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.096.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 31 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) विनियम 31क के अनुसार बोर्ड को संदेय फीस;"

3. मूल विनियमों में, विनियम 31 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"31क. विनियामक फीस

(1) धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अधीन लेनदारों के वसूलनीय मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित विनियामक फीस बोर्ड को वहां संदेय होगी जहां ऐसा वसूलनीय मूल्य समापन मूल्य से अधिक है:

परन्तु यह उप-विनियम वहां लागू होगा जहां समाधान योजना का धारा 31 के अधीन अनुमोदन 1 अक्तूबर, 2022 को या उसके पश्चात् किया जाता है।

(2) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक द्वारा किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सहायता के लिए किसी व्यावसायिक को नियोजित करने या अन्य सेवाओं की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत में बुक की जाने वाली लागत के एक प्रतिशत की दर पर संगणित विनियामक फीस, बोर्ड को, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (गख) में विनिर्दिष्ट रीति में संदेय होगी।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./282/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 455, तारीख 16 सितम्बर, 2022 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, तारीख 16 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2022.

F. No. IBBI/2022-23/GN/REG096.—In exercise of the powers conferred by clause (c) and clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 1st October, 2022.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 31, after clause (b), the following shall be inserted, namely:-

"(ba) fee payable to the Board under regulation 31A;"

3. In the principal regulations, after regulation 31, the following shall be inserted, namely:-

"31A. Regulatory Fee

(1) A regulatory fee calculated at the rate of 0.25 per cent of the realisable value to creditors under the resolution plan approved under section 31, shall be payable to the Board, where such realisable value is more than the liquidation value:

Provided that this sub-regulation shall be applicable where resolution plan is approved under section 31, on or after 1st October 2022.

(2) A regulatory fee calculated at the rate of one per cent of the cost being booked in insolvency resolution process costs in respect of hiring any professional or other services by the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, for assistance in a corporate insolvency resolution process, shall

be payable to the Board, in the manner as specified in clause (cb) of sub-regulation (2) of regulation (7) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./282/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2021-22/GN/REG093, dated the 16th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 455 on 16th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.21 16:05:00 +05'30'